# वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पन्मिं/निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेष्रें, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पन्मिं, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यून्तम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2005 की स्थित के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निध की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2005, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंदी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2005 को गारंदीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग 132728.19 करोड़ रुपए और 107957.43 करोड़ रुपए थीं।

The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2005 were Rs. 132728.19 crores and Rs. 107957.43 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रलय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:-

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

- I (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नमतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।
- I (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

#### FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

#### सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

#### No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान प्रत्याभूतित अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)		े दौरान ो गई	वर्ष के अंत में बकाया		कमीशन ा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than		d during e year अन् <del>दु</del> मोचित	Outstanding at the end of the year	Comn	rantee nission Fee	Other material details
				invoked during the	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	year) 5	6	7	8	9	10	11
										(करोड़ रुपयों में) crore of rupees)
कृषि मं <b>म्र</b> लय-										
MINISTRY OF										
AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग										
Department of										
Agriculture and Cooperation	699.26	3.84	695.42	259.65	_	_	439.61	0.02	0.02	
	(17)	(15)	(2)	(2)			(15)			
वस्त्रमंत्रलय										
MINISTRY OF TEXTILES	2266.27	2063.27	203.00	236.08	_	_	2030.19	14.50	6.13	
	(10)	(4)	(6)	(3)			(7)			
वित्त मं <b>प्र</b> लय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग										
Department of Economic Affairs		1085.44	_	324.70	_	_	760.70	1.89	1.89	
	(13)	(13)		(2)			(11)			

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण म MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	प्रिलय 49475.12 (4)	16375.12 (3)	33100.00 (1)	16375.04 (2)	_	_	33100.08 (2)	53.15	53.15
उद्योग मंब्रलय — MINISTRY OF INDUSTRY — भारी उद्योग विभाग									
Department of Heavy Industries		590.41	48.87	11.05	_	_	628.23	14.56	0.43
लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग	(27)	(27)					(27)		
Department of Agro-Rural									
Industries	342.44	342.44	_	8.08	_	_	334.36	38.21	_
	(1)	(1)		(1)			(1)		
पर्यटन मं <b>न्न</b> लय									
MINISTRY OF TOURISM	2.28	2.28	_	2.28		_	_	0.02	0.02
	(1)	(1)		(1)					
रसायन और उर्वरक मं <b>न्न</b> लय — MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS— रसायन और पेट्रो रसायन विभाग Department of Chemicals and Petrochemicals	1046.02 (22)	764.19 (11)	281.83 (11)	3.05	_	_	1042.97 (21)	_	_
उर्वरक विभाग									
Department of Fertilisers	12.00	12.00	_	_	_	12.00	12.00	0.12	
•	(2)	(2)				(2)	(2)		

#### FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

#### सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान प्रत्याभूतित अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)		े दौरान ो गई	वर्ष के अंत में बकाया		कमीशन ा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	during the	Deletion during the year (Other than		d during e year अन्नुमोचित	Outstanding at the end of the year	Com	rantee nission Fee	Other material details
	•			invoked during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की ग Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (In	11 (करोड़ रुपयों में) crore of rupees)
इस्पात मंत्रलय MINISTRY OF STEEL	236.62 (5)	236.62 (5)	_	30.62 (1)	_	_	206.00 (4)	2.06	0.14	1.92 (भा.इ.निलि. से गांरवी फीस की कम राशि) (Less amount of Guarantee fee from SAIL
जहाजरानी मंद्रलय MINISTRY OF SHIPPING	229.48 (1)	229.48 (1)	_	_	_	_	229.48 (1)	46.70	8.66	
शहरी कार्य एवं रोजगार मंद्रलय MINISTRY OF URBAN AFFAII AND EMPLOYMENT	RS 18 (1)	18 (1)	_	_	_	_	18 (1)	_	_	

जल संसाधन मं**न्र**लय

MINIBIRE OF WITTER								
RESOURCES	8.00	8.00	_	_	_	_	8.00	0.12
	(1)	(1)					(1)	

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यून्तम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

कृषि मंग्नलय- MINISTRY OF AGRICULTURE कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Cooperation	574.47	574.47	_	35.00	_	_	539.47	0.71	0.71	_
	(15)	(15)		(1)			(14)			
पशु पालन एवं डेरी विभाग  Department of Animal Husband		0.22		0.10			0.12			
& Dairying	0.22	0.22	_	0.10		_	0.12	_	_	
	(1)	(1)		(1)			(1)			
रसायन और उर्वरक मंग्नलय — MINISTRY OF CHEMICALS A FERTILISERS— रसायन और पेट्रो रसायन विभाग Department of Chemicals and	ND									
Petro Chemicals	31.14	24.64	6.50	_	_	_	31.14	_	_	_
	(1)	(1)	(1)				(1)			
विद्युत मं <b>न्न</b> लय MINISTRY OF POWER	1195.04	1195.04	_	100.00	_	_	1095.04	2.38	2.38	
	(35)	(35)		(3)			(32)			

#### FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

#### सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd

मं <b>त्र</b> लय का <b>न</b> म	वर्ष के दौरान	वर्ष के	वर्ष के	वर्ष के		हे दौरान	वर्ष के		कमीशन	अन्य
	प्रत्याभूतित	आरंभ में	दौरान	दौरान	मांर्ग	ो गई	अंत में	अथव	ा फीस	तात्विक
	अधिकतम	बकाया	परिवर्धन	विलोपन			बकाया			ब्योरे
	राशि			(वर्ष के दौरान						
				याचित के						
N. C.M.	3.6 .	0 1	A 1.11	अलावा)	T 1	1.1.	0 1			04
Name of Ministry	Maximum Amount	Outstanding at the	during the	Deletion during the		d during e year	Outstanding at the		rantee nission	Other material details
		beginning of	year	year	un	e year	end of		Fee	details
	during the	the year	year	(Other			the year	01	100	
	year	,		than	उन्मोचित	अनुमोचित	J			
				invoked	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई	
				during the		Discharged		Receivable	Received	
	_	_		year)		_	_	_		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										करोड़ रुपयों में)
									(In o	crore of rupees)
वित्त मं <b>न्न</b> लय —										
MINISTRY OF FINANCE —										
आर्थिक कार्य विभाग										
Department of	11320.55	11320.55	_	495.00	_	_	10825.55	23.35	23.35	
Economic Affairs	(56)	(56)		(3)			(53)		(11)	
उद्योग मं <b>न्र</b> लय —										
MINISTRY OF INDUSTRY —										
भारी उद्योग विभाग										
Department of Heavy Industries	s 842.85	588.23	254.62				842.85			
Department of Heavy Industries			234.02	_		_			_	
	(8)	(8)					(8)			
लघु उद्योग विभाग										
Department of Small Scale	=4								2	
Industries	50.00	50.00	_	_	_	_	50.00	0.50	0.50	_
	(1)	(1)					(1)			

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंह	<b>त्र</b> लय									
MINISTRY OF CONSUMER										
AFFAIRS, FOOD AND	5074.52	74.52	5000.00	_	_	_	5074.52	_	_	
PUBLIC DISTRIBUTION	(15)	(13)	(2)				(15)			
रेल मंग्नलय										
MINISTRY OF RAILWAYS	0.14	0.09	0.05	_	_	_	0.14	_	_	
	(4)	(3)	(1)				(4)			
इस्पात मंत्रलय										
MINISTRY OF STEEL	2564.00	2564.00	_	706.00	_	_	1858.00	121.81	24.84	0.80
	(6)	(6)		(2)			(4)			(भा.इ.निलि. से गांरवी
										फीस की कम राशि) (Less amount
										Guarantee Fee
										from SAIL)
शहरी कार्य एवं रोजगार मं <b>न्न</b> लय										
MINISTRY OF URBAN										
AFFAIRS AND EMPLOYMENT	615.85	615.85	_	61.30	_	_	554.55	0.88	0.88	_
	(19)	(19)		(1)			(18)			

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जी आदि पर ब्याज/ वचन्छद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और निम्नलिखित कम्पनियों, निग्नामों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की पूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गार्रीट्यां:-
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

नगर विमानन मं <b>न्र</b> लय									
MINISTRY OF CIVIL AVIATION	729.83	729.83	_	349.10	_	_	380.73	603.07	2.77
	(11)	(11)							
कोयला मं <b>न्र</b> लय									
MINISTRY OF COAL	3231.93	3231.93	_	895.51	_	_	2336.42	33.72	25.63
	(6)	(6)					(6)		(6)

## FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-*जारी*

मंब्रालय का नाम	वर्ष के दौरान प्रत्याभूतित अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के		ते दौरान ो गई	वर्ष के अंत में बकाया		कमीशन ा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	अलावा) Deletion during the year (Other than	the उन्मोचित	d during e year अन्सुमोचित	Outstanding at the end of the year	Com	rantee mission Fee	Other material details
				invoked during the year)	Discharged	Not Discharged	I	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(करोड़ रुपयों में) crore of rupees)
विद्युत मंग्नलय MINISTRY OF POWER	12597.63 (51)	11939.62 (48)	658.01 (3)	585.30 (6)	_	_	12012.33 (45)	69.20	70.54	
वित्त मं <b>ग्र</b> लय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग	` ,	. ,	. ,	,			. ,			
Department of	33712.77	31626.39	2086.38	3954.72	_	_	29758.05	40.03	12.02	
Economic Affairs	(179)	(165)	(14)	(8)			(171)	(3)	(8)	
उद्योग मंद्रलय — MINISTRY OF INDUSTRY —										
लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग Department of Small Scale Indu										
& Agro-Rural Industries	62.83 (4)	60.52 (3)	2.31 (1)	1.15 (1)	_	_	61.68 (3)	5.89	0.07	

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंब्रलय MINISTRY OF NON CONVENTI	ONAL.									
ENERGY SOURCES	661.71	566.58	95.13	63.89	_	_	618.37	6.21	6.21	
	(3)	(3)					(3)			
रेल मंत्रलय										
MINISTRY OF RAILWAYS	11.99	11.99	_	1.40	_	_	10.59	_	0.13	
	(1)	(1)		(1)			(1)			
इस्पात मं <b>न्न</b> लय										
MINISTRY OF STEEL	666.88	666.88	_	93.89	_	_	*604.00	16.42	16.42	
	(5)	(5)					(4)			
खान मंत्रलय MINISTRY OF MINISS	250.00	250.00					250.00			
MINISTRY OF MINES	250.00 (3)	(3)	_	_	_		(3)	_	_	
	(3)	(3)					(3)			
दूरसंचार विभाग										
DEPARTMENT OF										
TELECOMMUNICATIONS	762.00	494.00	268.00	180.00	_		582.00	7.62	0.50	
	(7)	(5)	(2)	(2)			(5)			
शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रलय										
MINISTRY OF URBAN AFFAIR	S									
AND EMPLOYMENT	731.25	731.25	_	20.52	_		710.73	6.19	6.19	
	(2)	(2)					(2)			

<sup>\* 31.01</sup> करोड़ रु. का अंतर विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन होने के कारण है।

<sup>\*</sup> Difference of Rs.31.01 crores due to change in foreign exchange rates.

#### FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

### सं. 4−संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-*समाप्त*

No. 4-GUARANTEES	GIVEN BY THE UNIO	N GOVERNMENTConcld.
------------------	-------------------	---------------------

मंब्रलय का नम	वर्ष के दौरान प्रत्याभूतित अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के		हे दौरान गो गई	वर्ष के अंत में बकाया		कमीशन ा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	अलावा) Deletion during the year (Other than		d during e year अन्नुमोचित	Outstanding at the end of the year	Comr	rantee mission Fee	Other material details
1	2	3	4	invoked during the year)	Discharged 6	Not Discharged	. 8	प्राप्य Receivable 9	प्राप्त की गई Received 10	11
1	2	3	4	5	0	/	8	9		11 (करोड़ रुपयों में)

(In crore of rupees)

- (iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्निलिखत कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पर्ने के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारियां:-
- (iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

इस्पात मं <b>न्न</b> लय MINISTRY OF STEEL	620.36	620.36	_	_	_	_	620.36	10.47	1.02	एचएससीएल ने गारंटी
रेल मं <b>न्न</b> लय	(5)	(5)					(5)			शुल्क की अदायगी नहीं की है। HSCL has not made the
MINISTRY OF RAILWAYS	311.70 (5)	311.70 (5)	_	28.85 (1)	_	_	282.85 (4)			payment of Guarantee Fee

- (v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों / भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे / राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गार्रीट्यां:-
- (v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —
- (vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-
- (vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

शहरी कार्य एवं रोजगार मं**न्न**लय

#### MINISTRY OF URBAN AFFAIRS

AND EMPLOYMENT	31.32	31.32	 	_	_	31.32	_
	(2)	(2)				(2)	

उद्योग मंत्रालय —

#### MINISTRY OF INDUSTRY —

भारी उद्योग विभाग

Department of Heavy Industries	17.00	17.00	 _	_	 17.00
	(1)	(1)			(1)